(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1400–एक/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–8–2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 115/2002–03/निगरानी.

गोपाल सिंह पुत्र प्राण सिंह रघुवंशी
निवासी ग्राम देवरीमार
तहसील व जिला गुना
.....आवेदक

विरूद्ध

सीताराम पुत्र भोगीराम रघुवंशी
निवासी ग्राम देवरीमार
तहसील व जिला गुना
.....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक गोपाल सिंह द्वारा ग्राम देवरी स्थित उसके स्वामित्व की सर्वे नम्बर 34/2, 36/1 नया सर्वे कमांक 60 रकबा कमशः 3 बीघा 9 बिस्वा एवं 7 बीघा 9 बिस्वा कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में बंदोबस्त के दौरान हुई लेखन त्रुटि सुधार हेतु संहिता की धारा 87, 113 के अंतर्गत आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा

प्रकरण जांच हेतु तहसीलदार गुना को भेजा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 11/अ–74/99–2000 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक सीताराम द्वारा व्यवहार न्यायालय से उसके पक्ष में स्थगन होने से तहसील न्यायालय की कार्यवाही समाप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 15–6–01 को आदेश पारित कर अनावेदक के पक्ष में व्यवहार न्यायालय से स्थगन होने तथा वरिष्ठ न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–3–2002 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 87, 113 में दिये गये तथ्यों की विस्तृत जांच की जाकर प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध कलेक्टर, गुना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । कलेक्टर द्वारा दिनांक 27–1–2003 को आदेश पारित कर निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतिम स्वरूप का है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–8–2004 को आदेश पारित कर निगरानी को अपील में परिवर्तित कर अपील स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 217ए/99 में दिनांक 1–8–2000 को अनावेदक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक की ओर से व्यवहार न्यायालय में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधा हेतु व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 85ए/99 नवीन प्रकरण कमांक 36ए/03 प्रस्तुत किया गया था, जिसमे दिनांक 20–11–99 के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था, और उक्त प्रकरण में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 2–9–2003 को अंतिम निर्णय पारित किया जा चुका है, इसलिए उक्त स्थगन का प्रभाव समाप्त हो चुका है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में उचित कार्यवाही की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत

किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि व्यवहार वाद प्रकरण कमांक 85ए/99 में पारित स्थगन आदेश दिनांक 20–11–99 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी कमांक 3 शासन पर निषेधाज्ञा का प्रभाव नहीं होगा, अतः राजस्व न्यायालय को सीमा संबंधी आवेदन की जांच कर आवेदक के आवेदन पत्र का गुण–दोष पर निर्णय करना था, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में भूल की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अनावेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी को अवैधानिक रूप से अपील में परिवर्तित किया गया है, क्योंकि अनावेदक की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की गई थी ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के सम्बन्ध में व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होकर उसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा स्थगन दिया गया है । इसी आशय की आपत्ति अनावेदक द्वारा किये जाने पर तहसीलदार द्वारा कार्यवाही समाप्त की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है । चूंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उपरोक्त वैधानिक स्थिति पर बिना विचार किये तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही को भी रोका गया है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–8–2004 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर